न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 92/2012 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह
2. महेन्द्रसिंह
3. अमरसिंह
4. रनजीतसिंह

} पिसरान महाराजसिंह कौम–ठाकुर निवासी रूपवास तहसील रूपवास–भरतपुर

5. नरेशकुमार
6. ज्ञानेशकुमार

} पिसरान पोथीप्रसाद कौम ब्राहमण निवासी चकसामरी तहसील रूपवास (भरतपुर)

7. निर्भयलाल पुत्र नत्थीलाल कौम जाटव निवासी महलपुर काछी तहसील रूपवास (भरतपुर)

.....**अप्रार्थीगण**

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2033/1253 रकवा01.10 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित:–

1–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दिनांक:– 22.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2033/1253 रकवा 0.10 किस्म गैरमुमकिन खान ग्राम रूपवास तहसील रुपवास में स्थित है। उक्त आराजी राजकीय खाते में सिवायचक–गैरमुमकिन खान के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी संवत 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1253/56.16 के रूप में रहा है। विवादित भूमि बिना नामान्तरकरण के जमाबन्दी संवत 2020 के खाता संख्या 444 व जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 448 में सूखा पुत्र किशोरे कौम धीमर के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई जो जरिये विरासत व हुक्मन खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 653 व 2407 से से मुलुआ पुत्र सूखा के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज होकर जारिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 2410 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है और उस पर विनियमन व खातेदारी अधिकार देना विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश 02–08–2004 में दिए निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./2013/15899 दिनांक 20.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिसन नं. 14757/2017, पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2033/1253 रकवा 0.10 बीधा किस्म गैर मुमकिन खान पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 653, 2407, 2410 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रुपवास से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई, प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया । उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी की किस्म सिवायचक–गैरमुमकिन खान है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार गलत तरीके से दे दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 653, 2407, 2410 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2033/1253 रकवा 0.10 वीघा वाकै ग्राम रूपवास को संवत 2020 में सूखा पुत्र किशोरे जाति धीमर के नाम खातेदारी सैटिलमेन्ट कमिश्नर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अजमेर के सामान्य आदेश के तहत दर्ज हुई। इस आदेश में संवत 2012 में काश्त कर रहे व मौके पर काविज व्यक्तियों के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये गये थे इसी आधार पर मृतक सूखा के नाम पहले गैर खातेदारी दर्ज हुये और वाद में खातेदारी दर्ज हुये वर्तमान खातेदारों के जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आराजी को क्रय किया है। मौके पर आराजी आवादी में काम आ रही है और मूल खसरा नम्बर 1253 पर 56.16 हैक्ट0 पर आवादी वसी हुई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि जमाबन्दी में दर्ज आराजी जिसकी किस्म गैरमुमकिन खान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्णित भूमि की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। विवादित आराजी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2004 में जारी निर्देशों के तहत नहीं आती है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। मुताविक जमाबन्दी संवत 2012–2015 में आराजी खसरा नम्बर 1253 रकवा 56 वीघा 16 विस्वा में भूमि प्रकार वाले कॉलम संख्या 8 में "गैरमुमकिन खान" दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2020–2023 के खाता संख्या 444 में आराजी खसरा नम्बर 1253 रकवा 0.10 वीघा सूखा वल्द किशोर कौम धीमर के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं भूमि के प्रकार वाले कॉलम संख्या 8 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 448 में आराजी खसरा नम्बर 1253 रकवा 0.10 वीघा सूखा बल्द किशोर कौम धीमर सा. देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं भूमि के प्रकार वाले कॉलम संख्या 8 में भूमि की किस्म गैरमुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2029–2032 के खाता संख्या 505 में आराजी खसरा नम्बर 1253 रकवा 0.10 वीघा सूखा बल्द किशोर कौम धीमर सा.देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं भूमि के प्रकार वाले कॉलम संख्या 8 में भूमि की किस्म गैरमुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2036–2039 के खाता संख्या 501 में आराजी खसरा नम्बर 1253 रकवा 0.10 वीघा मुलुआ पुत्र सूखा कौम धीमर सा.देह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं भूमि के प्रकार वाले कॉलम संख्या 7 में गैरमुमकिन खान दर्ज है। तहसीलदार रूपवास द्वारा अपने रैफरेस प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3 में विवादित भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित बताते हुये चारागाह दर्ज होने के आधार पर खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि मुताविक जमाबन्दी संवत 2012–2015 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1253 ग्राम रूपवास "गैरमुमकिन खान" के रूप में दर्ज है जो चारागाह की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में रैफरेंस प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)